

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 23/02/2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर  
अपर पुलिस महानिदेशक,  
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 22.02.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000-5,000 रु0 के अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा”

दिनांक 25.02.2026 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना खानपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/2010 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए कुल 03 नफर अभियुक्त 01. नवल किशोर चौबे पुत्र पद्युमन चौबे 02. कृपाशंकर सिंह उर्फ पण्डित सिंह पुत्र फरेन्द्र बहादुर 03. धर्मचन्द्र उर्फ टिकू सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह समस्त निवासीगण थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000-5,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

**02. थाना भुडकुडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 185/25 धारा 305(ए), 331(4), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.02.2026 को प्रभारी निरीक्षक श्यामजी यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान चौजा खास काली माता के मन्दिर के पास से मु0अ0सं0 185/25 धारा 305(ए), 331(4),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त आनन्द भारद्वाज पुत्र राकेश भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-**

आनन्द भारद्वाज पुत्र राकेश भारद्वाज निवासी ग्राम धीरजोत थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर उम्र 27 वर्ष ।

बरामदगी -

चोरी के 4000 रूपये।

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 185/25 धारा 305(ए), 331(4),317(2) बीएनएस थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर

### 03. थाना करण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 229/2025 धारा 103(1), 61(2), 3(5), 238 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.02.2026 को थानाध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा ग्राम बड़सरा में चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 229/2025 धारा 103(1), 61(2), 3(5), 238 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्ता सरोज देवी पत्नी हीरा यादव को उसके घर ग्राम बड़सरा थाना करण्डा गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

1.सरोज देवी पत्नी हीरा यादव निवासी ग्राम बड़सरा थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 229/2025 धारा 103(1), 61(2), 3(5), 238 बीएनएस थाना करण्डा गाजीपुर

04. थाना शादियाबाद पुलिस द्वारा विभिन्न मुकदमों में वांछित 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.02.2026 को प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 35/2026 धारा 305(e) बीएनएस, मु0अ0सं0 44/2026 धारा 305(e)बीएनएस थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर तथा थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 328/2025 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 20/2026 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 03 नफर अभियुक्तगण 1.नन्दलाल बिन्द 2.अमरजीत बिन्द 3.राधेश्याम बिन्द को दिनांक 25.02.2026 को युसुफपुर बेंसो नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के पास से घटना में प्रयुक्त पीकप वाहन UP65KT0012 तथा चोरी किये गये 03 बन्डलो में बिजली का एल्युमिनियम तार तथा अभियुक्त राधेश्याम बिन्द के कब्जे से 01अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ , बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 35/2026 व मु0अ0सं0 44/2026 में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी व मु0अ0सं0 51/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राधेश्याम बिन्द पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.नन्दलाल बिन्द पुत्र नगीना बिन्द उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम पचरासी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
- 2.अमरजीत बिन्द पुत्र राजेन्द्र बिन्द उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम हरखूपुर थाना नन्दगंज गाजीपुर
- 3.राधेश्याम बिन्द पुत्र सोपाल बिन्द उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम बेलसरी थाना करण्डा गाजीपुर

बरामदगी का विवरण-

पीकप वाहन UP65KT0012 तथा चोरी किया गया उपरोक्त मुकदमों से संबन्धित 03 बन्डलो में बिजली का एल्युमिनियम का तार कुल 153 मीटर तथा अभियुक्त राधेश्याम बिन्द के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

अपराधिक इतिहास:-

1. नन्दलाल बिन्द पुत्र नगीना बिन्द उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम पचरासी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर  
मु0अ0स0 35/2026 धारा 305(e), 317(2) बीएनएस थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर  
मु0अ0सं0 44/2026 धारा 305(e), 317(2) बीएनएस थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर  
मु0अ0सं0 328/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर  
मु0अ0सं0 20/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

2. अमरजीत बिन्द पुत्र राजेन्द्र बिन्द उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम हरखूपुर थाना नन्दगंज गाजीपुर  
मु0अ0स0 35/2026 धारा 305(e), 317(2) बीएनएस थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर  
मु0अ0सं0 44/2026 धारा 305(e), 317(2) बीएनएस थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर  
मु0अ0सं0 328/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर  
मु0अ0सं0 20/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

3. राधेश्याम बिन्द पुत्र सोपाल बिन्द उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम बेलसरी थाना करण्डा गाजीपुर  
मु0अ0स0 35/2026 धारा 305(e), 317(2) बीएनएस थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर  
मु0अ0सं0 44/2026 धारा 305(e), 317(2) बीएनएस थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर  
मु0अ0सं0 51/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर  
मु0अ0सं0 328/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर  
मु0अ0सं0 20/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक  
गाजीपुर